ायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

ुन0 – 108/2019

नवान : –

1. काशीराम पुत्र सुन्दरराम जाति सांसी निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

:-प्रार्थी

बनाम

1. लिछमा बेवा रामजस जाति जाट निवासी गांव रामगढिया– मृतक
   1/1 मैनावती पत्नी राजा जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
   1/2 रोशनी पत्नी राजेन्द्र पुत्र गणेशराम जाट निवासी किरढान तहसील भटटू जिला फतेहबाद।
   1/3 पातोदेवी पत्नी बुधराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा–मृतक
   1/3/1 सुमन पुत्री पतोदेवी पत्नी धोलू पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी भादरा।
2. वेदप्रकाश पुत्र रामजस जाति जाट निवासी गांव रामगढिया–मृतक
   2/1 सीमा पत्नि वेदप्रकाश जाट थोरी निवासी ढाणी 8 MSR करनपुरा भादरा।
   2/2 कपिल पुत्र वेदप्रकाश जाट थोरी निवासी ढाणी 8 MSR करनपुरा भादरा।
   2/3 उर्मिला पुत्री वेदप्रकाश जाट थोरी निवासी ढाणी 8 MSR करनपुरा भादरा।
3. बंशीलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी गांव रामगढ़िया तहसील भादरा।

:-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 144 जाब्ता दिवानी
उपस्थिति :-श्री राजेन्द्र गोयल प्रार्थी

निर्णय दिनांक:- 08.09.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि अनवान सदर के राजस्व ाद संख्या 69/03.06.1999 बउनवानी लिछमा बनाम जहरो आदि मे इस न्यायालय द्वारा ानांक 04.05.2011 को निर्णय व डिकी पारित किया गया था जिसकी पालना में चक 8 ISR के मु0 नं0 22 के किला नं0 3 की कृषि भूमि जो माननीय न्यायलाय के निर्णय व ड्की की पालना में लिछमा वेदप्रकाश व बंशीलाल के पक्ष मे राजस्व रिकार्ड मे अंकन ा गई। उक्त निर्णय व डिकी के विरूद्ध काशीराम द्वारा एक वाद न्यायालय सिविल ायाधीश भादरा मे दिवानी प्रकरण संख्या 104/2016 बअनवानी काशीराम बनाम ाछमा आदि पेश किया था जिसमे दिवानी न्यायालय द्वारा निर्णय व डिकी दिनांक 18. .2024 को पक्षकारान के बरूवे राजीनामा पर पारित करते हुवे चक 8 एम एस आर के ा नं0 22 के किला नं0 3 की कृषि भूमि जो माननीय न्यायलाय के निर्णय व डिक्री की ालना में लिछमा वेदप्रकाश व बंशीलाल के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गई थी ो कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सिविल न्यायालय द्वारा बरूवे राजीनामा ारित निर्णय व डिकी की पालना में चक 8 एम एस [illegible] नं0 22 के किला नं0 की कृषि भूमि काशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] निवेदन ाया। इस प्रकार प्रार्थी उक्त स्थिति बहाल करवाने का [illegible] अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:05:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत [illegible]ने पर दर्ज रजिस्टर किया ाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त

CamScanner

ीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी व मूल वाद अवलोकन किया गया। जब किसी निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेख में वर्तन कर दिया जाता है एवं वह निर्णय व डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में रस्त कर दिया जाता है तो धारा 144 सीपीसी के अन्तर्गत उस निर्णय व डिक्री से पूर्व स्थिति को बहाल किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है उक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत ते हुए माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय भादरा द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 04/2016 बअनवानी काशीराम बनाम लिछमा में निर्णय दिनांक 18.07.2024 द्वारा इस ायालय के राज़स्व वाद सं0 69/03.06.1999 बउनवानी लिछमा बनाम जहरो आदि मे र्णय दिनांक 04.05.2011 को चक 8 MSR के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 3 की द तक पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर शेष भूमि के सबंध में निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.1996 यथावत कायम रखी गई। माननीय सिविल न्यायालय हो जाने ी स्थिति में डिक्री की पालना में दर्ज नामान्तरण के अनुरूप अंकित प्रविष्टियों को थावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सीपीसी के प्रावधानुसार उक्त डिक्री े पूर्व की स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाना आवश्यक है अतः उक्त विवेचनानुसार ार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हसीलदार राजस्व भादरा को आदेशित किया जाता है कि सं0 69/03.06.1999 उनवानी लिछमा बनाम जहरो आदि मे निर्णय दिनांक 04.05.2011 में माननीय सिविल यायाधीश महोदय भादरा द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 104/2016 बअनवानी काशीराम नाम लिछमा में निर्णय दिनांक 18.07.2024 की अनुपालना में चक 8 MSR के मु0 नं0 2 के किला नं0 3 की कृषि भूमि इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2011 ा पूर्व की स्थिति दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:05:01 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner